

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (के-334) अलेसे- I/ 201-206 दिनांक:- 19/04/2023

आदेश

श्री कमलेश चन्द्र शर्मा, (लिंग नं० 9064), तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त लेखाधिकारी) के दिनांक 03.02.1999 से दिनांक 15.02.1999 तक की अवधि का वेतन कार्यालय आयुक्त उधोग विभाग, जयपुर से आहरित नहीं हो पाने के कारण उक्त अवधि का वेतन कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण) से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन
सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (के-334) अलेसे- I/ 201-206 दिनांक:- 19/04/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 आयुक्त, उधोग विभाग, जयपुर।
- 3 कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण) को प्रेषित कर अनुरोध है कि श्री कमलेश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त लेखाधिकारी) को वेतन भुगतान की व्यवस्था करें।
- 4 श्री कमलेश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त लेखाधिकारी), कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)
- 5 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टि करने हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)